विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 5032 द्वारा श्री गिरीश भण्डारी
सत्र फरवरी - अप्रैल 2016

परिशिष्ट - 1

(336)

**Government of India**
**Ministry of Environment & Forests**
**(Wildlife Division)**

**Paryavaran Bhawan,**
**CGO Complex, Lodi Road,**
**New Delhi-110003**

F. No. 1-9/2001 WL-I
Dated: 26th October 2007

To
The Chief Wildlife warden,
States/Union Territories

F. (W.L.)
(M.P.)

Sub: Order of Hon'ble Supreme Court dated 14th September 2007 in I.A. No. 1220 in I.A. 548 in Writ Petition (Civil) No. 202/95.

Sir,

Kindly refer to this Ministry's letter of even no. dated 7th December 2005 forwarding a copy of the Order of Hon ble Supreme Court dated 25th November 2005 in I.A. No. 1220 in I.A. 548 in Writ Petition (Civil) No. 202/95, pertaining to relaxation of certain activities that can be taken up as per the Management Plan.

In this regard, it is mentioned that Hon'ble Supreme Court vide their order dated 14th September 2007 has granted further relaxation to the following activities also:

1. Laying of underground drinking water pipeline up to 4 inch diameter.
2. Laying of 11 KV distribution lines for supply of electricity to rural areas.
3. laying of telephone lines or optical fibre for providing communication facilities in rural areas.
4. Wells, hand pumps, small water tanks etc for providing drinking water facilities to villagers, who are yet to be relocated from the Protected areas.
5. Anganwadies, Government schools and Government dispensaries which are essential for the inhabitants of people who are nearer to these forest areas shall continue and the Government may carry out construction activities in the forest area for the said purposes without there being any cutting or falling of trees.

A copy of the above said order is available at the web page of the Supreme Court [http://judis.nic.in] and can be downloaded from the site.

Yours faithfully,
(Dr. Anmol Kumar)
Deputy Inspector General (WL)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 7898
दिनांक 5-11-07
वन प्राणी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5032 द्वारा श्री गिरीश भण्डारी
सत्र - फरवरी - अप्रैल 2016

परिशिष्ट - 2

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / भोपाल, दिनांक मई, 2009

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी
म0प्र0

विषयः—वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग में वनभूमि व्यपवर्तन में अधिकार सौंपने विषयक।

—0—

म.प्र.शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ—5/2/2006/10—3 दिनांक 29.08.2006 के द्वारा कतिपय प्रकरणों में वन भूमि व्यपवर्तन के अधिकार क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को दिनांक 31/12/2006 तक के लिए प्रत्यायोजित किये गये है तथा ज्ञाप क्रमांक 5/11/2006/10—3 दिनांक 19.04.2007 के द्वारा सौंपे गये यह अधिकार आगामी आदेश तक निरंतर लागू रहने के निर्देश दिये गये है। राज्य शासन एतद् द्वारा इन परिपत्र के द्वारा जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित करता है।

2/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) में निम्नानुसार प्रावधान है:—

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वनभूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनाधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थातः—

(क) विद्यालय;
(ख) औषधालय या अस्पताल;
(ग) आंगनबाड़ी;
(घ) उचित कीमत की दुकानें;
(ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें;
(च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय;
(छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें;
(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;
(झ) लघु सिंचाई नहरें;
(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत;
(ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
(ठ) सड़कें; और
(ड) सामुदायिक केन्द्र;

परन्तु वनभूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब—

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्रामसभा द्वारा की गई हो।

3/ उक्त प्रावधानों के तारतम्य में भारत शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 23011/15/2008/एसजी–II दिनांक 18.05.2009 के द्वारा निर्देश जारी कर दिये हैं जिनमें पैरा–2 में उल्लेखित व्यपवर्तन के लिए कार्यविधि का उल्लेख है। इन उल्लेखित कार्यविधियों की प्रति संलग्न है।

4/ संलग्न कार्यविधि के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध को नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है, जो कि कार्यविधि में चाहे अनुसार प्रतिवेदन भारत शासन जन जातीय कल्याण मंत्रालय एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा म0प्र0 शासन, वन विभाग को प्रेषित करेंगे।

5/ अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप संलग्न की गई कार्यविधि के अनुसार पैरा–2 में उल्लेखित कार्यो के लिए वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति जारी करने हेतु क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है।

6/ कृपया इन निर्देशों के पालन में आवश्यक कार्यवाही करें।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 25/05/2009

पृ0 कमांक F 5\11\06\10-3

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया इन आदेशों के माध्यम से निर्धारित कार्यविधि की जानकारी समस्त ग्रामसभा के सज्ञान में भारत शासन, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय ज्ञाप दिनांक 18.05.2008 चाहे अनुरूप लाने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ऊर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/गृह विभाग।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू–प्रबंध।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
6. समस्त जिलाध्यक्ष म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग शाखा-2

सचिव
म0प्र0शासन, वन विभाग